



2026:AHC:125318

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या – 18304/2026

अमन

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी(गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : अजय कुमार शर्मा, राहुल कुमार मिश्रा

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा।

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार शर्मा और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अमित कुमार दुबे को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।
2. यह जमानत आवेदन, मुकदमा अपराध संख्या 148/2025, धारा 103(1), 352 भारतीय न्याय संहिता, थाना तालग्राम, जिला कन्नौज के तहत, मुकदमे के संबंधित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है, जबकि उसके खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्राथमिकी के अनुसार, आवेदक को शिकायतकर्ता उमेश चंद्र के भाई पर लोहे की छड़ जैसे कठोर और कुंद हथियार से हमला करने की भूमिका सौंपी गई है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि प्राथमिकी के अनुसार, घटना के समय शिकायतकर्ता और उसका बेटा घटनास्थल पर मौजूद थे। हालाँकि, शिकायतकर्ता ने विचारण न्यायालय के सामने पीडब्लू-1 के तौर पर पेश होकर अपने बयान में कहा कि वह कथित घटना खत्म होने के 10 मिनट बाद घटनास्थल पर पहुँचा था, जबकि शिकायतकर्ता के बेटे पीडब्लू-2 ने भी विचारण न्यायालय के सामने पेश होकर कहा कि यह कहना गलत है कि आरोपी ने उसके चाचा के साथ उसके सामने मारपीट की थी। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का आपराधिक इतिहास है, जिसमें भा0दं0सं0 की धारा 323, 504, 506 के तहत अपराधों से संबंधित एक मामला शामिल है। आवेदक 3.6.2025 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत मिल जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।
4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया, लेकिन उपरोक्त तथ्यों पर विवाद नहीं कर सके। हालाँकि, यह प्रस्तुत किया गया कि विवेचना के दौरान एक चश्मदीद गवाह रविंद्र ने कहा कि वह घटना स्थल पर मौजूद था और उसने आवेदक को लोहे की छड़ से मृतक पर हमला करते हुए देखा, और सूचनाकर्ता शिव राज सिंह भी मौजूद था।
5. जवाब में, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सूचनाकर्ता और उसका बेटा उपस्थित थे, हालाँकि, दोनों ने इस बात से इनकार किया कि घटना उनके सामने हुई थी। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अपराध में प्रयुक्त हथियार, यानी लोहे की छड़, की बरामदगी भी गवाहों शिव राज सिंह और अर्जुन सिंह की उपस्थिति में होने से इनकार किया गया है।
6. प्राथमिकी के अनुसार, आवेदक पर आरोप है कि उसने लोहे की रॉड से मृतक (शिकायतकर्ता के भाई) पर हमला किया, जिसके कारण उमेश चंद्र की मौत हो गई। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृत्यु का कारण मृत्यु-पूर्व चोटें बताई गई हैं, क्योंकि मृतक के शरीर पर चार चोटें थीं। प्रथम सूचनाकर्ता शिव राज सिंह और उनके पुत्र अर्जुन सिंह, पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के रूप में उपस्थित हुए हैं और पीडब्लू-1 ने अपनी गवाही में कहा है कि वह कथित घटना के दस मिनट बाद घटनास्थल पर पहुँचा, जबकि पीडब्लू-2 ने कहा है कि यह कहना गलत है कि आवेदक ने उसके चाचा के साथ

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



उसके सामने मारपीट की। आवेदक के खिलाफ भा0दं0सं0 की धारा 323, 504, 506 के तहत एक मामला दर्ज है और वह 3.6.2025 से जेल में बंद है।

7. इस मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों, अपराध की प्रकृति, सबूतों और आरोपी की भूमिका पर विचार करते हुए; साथ ही जेलों में भीड़ और विचारण न्यायालय में लंबित आपराधिक मामलों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए; और कपिल वधावन बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2024 एससीसी ऑनलाइन इलाहाबाद 6765 मामले में इस न्यायालय की जमानत देने से जुड़ी गाइडलाइन को देखते हुए—और मामले के गुण-दोष पर कोई राय ज़ाहिर किए बिना—मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

8. तदनुसार, वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है।

9. उक्त अपराध में संलिप्त आवेदक अमन को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, उतनी ही राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह निम्नलिखित शर्तों का पालन करे:-

- आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोकने के लिए, या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा।
- आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए, निष्ठापूर्वक मुकदमे/ विवेचना में सहयोग करेगा।
- जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि या अपराध में शामिल नहीं होगा।
- आवेदक को अपने द्वारा निष्पादित मुचलके की शर्तों के अनुसार उपस्थित होना होगा।

10. यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होता है, तो यह जमानत रद्द करने का आधार बनेगा।

11. मुचलका स्वीकार करने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाए। आवेदक और जमानतदारों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन भी संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

12. आगे यह निर्देश दिया जाता है कि अवर न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे।

13. सर्वोच्च न्यायालय के जमानत देने की पॉलिसी स्ट्रैटेजी इन री: सुओ मोटो रिट पिटीशन (आपराधिक) संख्या 4/2021, 31.01.2023 को निर्णीत, (2024) 10 एससीसी 685 वाले आदेश का पालन करते हुए, कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक के ज़रिए ईमेल या ई-प्रिज़न पोर्टल से 24 घंटे के अंदर आवेदक को भेजे।

(माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा।)

4 जून, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"